| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Punjab State Milk (Movement) Control Order | 23-6-89 to 22-8-89 | from date of notification to 15-8-90. | 17-5-91 to 15-8-91 |
| 4 | Rajasthan Milk (Export) Control Order | 12-5-89 to 31-8-89 | .. | 29-6-91 to 30-9-91 |
| 5 | (i) Haryana Milk Export Control Order | 22-6-89 to 31-7-89 | from the date of notification to 31-7-90 | 3-5-91 to 31-7-91 |
| | (ii) Haryana Milk Products Control Order | 22-6-89 to 31-7-89 | From the date of notification to 31-7-90 | 1-6-91 to 31-7-91 |
| 6 | Chandigarh Milk Products Control Order | 24-6-89 to 30-7-89 | .. | From the date of notification to 30-7-91. |

**Import of Palmolein by NDDB**

2449. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that NDDB in the last three years was allowed to import palmolein ;

(b) if so, the details of the total amount spent thereon, and the revenue realised from such import ; and

(c) what is the rationale for allowing this single non-governmental agency to import edible oil ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN) : (a) No, Sir. NDDB was not allowed to import palmolein directly.

(b) and (c) Does not arise.

**गुजरात में मत्स्य पालन**

2450. **श्री राजू भाई ए० परमार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में मत्स्य पालन के लिए लगभग कितना क्षेत्र उपयुक्त है ;

(ख) राज्य में मत्स्य पालन के विकास के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में कितने क्षेत्र को मत्स्य पालन के दायरे में लाया गया है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)** : (क) गुजरात में 34,000 हैक्टेयर क्षेत्र में ताजे पानी के जलाशय व तालाब और 95,000 हैक्टेयर खारे पानी का क्षेत्र मत्स्यपालन के लिए उपलब्ध होने का अनुमान है।

(ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित दो विभिन्न प्लान स्कीमों के तहत गुजरात में क्रमशः ताजा पानी मत्स्य पालन तथा खारा जल मत्स्यपालन के लिए 17 मत्स्यपालक विकास एजेन्सियाँ तथा 3 खाराजल मत्स्यपालक विकास एजेन्सियां स्वीकृत की गई। ये एजेंसियां वर्तमान जलाशयों व तालाबों के जीर्णोद्धार तथा नए तालाबों के निर्माण के लिए तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं तथा मत्स्य पालकों को प्रथम वर्ष में कल्चर आपरेशन के लिए आदानों की आपूर्ति करती हैं। इसके अतिरिक्त मत्स्यपालक विकास एजेंसियां एवं खाराजल मत्स्यपालक विकास एजेंसियां